फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील जीसीएमएस नंबर 2017/00250 बअनवान पवनी वगैरा सरपंच ग्रा0 पं0 मुण्डार वगैरा

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
20/08/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट श्री कैलाश कुमावत ने बहस में अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये ग्राम मुण्डारा स्थित भूमि खसरा नंबर 264, 303, 306, 339, 340, 341, 342, 343 कुल खसरा 08 कुल रकबा 10.2200 हैक्टर में अपीलांट के पिता भगाराम के निहित 1/8 हिस्सा के संबंध में दाखिल व स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 436 एवं मुण्डारा स्थित भूमि खसरा नंबर 1679, 1680, 1681 कुल खसरा 03 कुल रकबा 6.4900 हैक्टर में निहीत अपीलांट के पिता भगा पुत्र दला के 1/4 हिस्सा के संबंध में दाखिल व स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 435 दिनांक 01.12.97 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से इन नामांतरकरण को निरस्त कर अपीलांट का नाम भी रेस्पोंडेंट के साथ हिस्सा अनुसार दर्ज किये जाने की दलील दी। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव द्वारा वकील अपीलांट की दलीलों का खंडन नहीं किया तथा हिस्सा अनुसार अपीलांट का नाम अपीलाधीन भूमियों में दर्ज किये जाने की सहमति प्रकट की। रेस्पोंडेंट संख्या 02 का सम्मन अखबार में छाया होने के बावजूद वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से आदेशिका दिनांक 27.05.2025 से एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वकील अपीलांट ने दलील दी कि अपील के विचारण रहते रेस्पोंडेंट संख्या 02 दरगाराम के हिस्से की भूमि को हडप करने की नियत से ग्राम धणी निवासी मोहनलाल सकाजी चौधरी ने दरगाराम के हिस्से की भूमि को अपील के विचारण रहते हुये अपनी पत्नी पुष्पा पत्नी मोहनलाल जाति चौधरी निवासी धणी के नाम से बिना कब्जे के खरीद कर ली है। जिसके लिये अपीलांट द्वारा दिनांक 07.05.2018 को दरगाराम की जगह खरीददार पुष्पा पत्नी मोहनलाल को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया था जिस प्रार्थना पत्र पर खरीदकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान द्वारा अंडरटेकिंग लिये जाने के बाद आदिनांक तक कोई जवाब/आपत्ति पेश नहीं की गई है, जिससे उनका भी जवाब/आपत्ति अवसर बंद करते हुये अपील के विचारण रहते हुये भूमि का बेचान एवं नामांतरकरण विधि शून्य होने से अपील अपीलांट	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की ... में

स्वीकार किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रस्तुत अपील को अंदर अवधिकाल मानते हुये अपीलाधीन भूमि के संबंध में दाखिल व स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 435 एवं 436 स्वीकृति दिनांक 01.12.97 को अपीलांट के पिता भगा वल्द दला के हिस्से की भूमि तक निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलांट स्वर्गीय भगा वल्द दला की जायंदा पुत्रियां होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में प्रथम श्रेणी की वारिस होने से रेस्पोंडेंट के साथ बहिस्सा बराबर की हकदार होने से अपील अपीलांट स्वीकार कीं जाती है। ग्राम मुण्डारा स्थित भूमि खसरा नंबर 264, 303, 306, 340, 343, 339, 341, 342 कुल खसरा 08 कुल रकबा 10.22 हैक्टर में मृत दला पुत्र पेमा का नियत हिस्सा 1/8 के संबंध में दाखिल व स्वीकृत नामांतरकरण 436 निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम मुण्डारा स्थित भूमि खसरा नंबर 1679, 1681, 1680 कुल खसरा 03 कुल रकबा 6.49 हैक्टर में दला पुत्र पेमा के 1/4 हिस्सा के संबंध में दाखिल व स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 435 को निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही अपील के विचारण रहते दरगा पुत्र भगा के हिस्से की भूमि का बेचान होने से इस संबंध में दाखिल व स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 1914 विधि शून्य होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाली को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि स्वर्गीय दला पुत्र पेमा के वारिस भगा वल्द दला के अपीलाधीन भूमियों में निहीत हिस्सों अर्थात 1/8 हिस्सा व 1/4 हिस्सा के संबंध मे दोनों नामांतरकरणों को निरस्त करते हुये स्वर्गीय भगा वल्द दला के वारिसान के हिस्सा अनुसार अपीलांट व रेस्पोंडेंट को सुनकर नये सिरे से विधि अनुसार नामांतरकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का मुण्डारा आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से खारिज हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner